भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2204

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

एनएच-766 के मलापाराम्बा से वेल्लीमदुकुन्नु खंड तक मार्गाधिकार में कमी

2204. श्री एम. के. राघवन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार ने कोझीकोड में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-766 के मालापरम्बा से वेल्लीमादुकुन्नू खंड के लिए मार्गाधिकार (आरओडबल्यू) को 30 मीटर से घटाकर 24 मीटर कर दिया है, जिसे कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेल्लिमादुकुन्नू से कोल्लेगेल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-766 के शेष खंड का निर्माण 30 मीटर के मार्गाधिकार के साथ किए जाने की योजना है और मालापरम्बा से वेल्लीमादुकुन्नू तक मार्गाधिकार में कमी से उत्पन्न होने वाली कोई समस्या का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): जी, हाँ। सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को केरल सरकार से एनएच-766 के किमी 5.175 से किमी 8.425 (मनंचिरा-वेल्लिमाडुकुन्नू) खंड को केरल सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कोझिकोड शहर सड़क सुधार परियोजना के तहत कार्यान्वयन हेतु केरल सड़क निधि बोर्ड (केआरएफबी) को सौंपने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि उक्त खंड को चार लेन का बनाने के लिए 24 मीटर चौड़ाई की आवश्यक भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, उक्त खंड पर केआरएफबी द्वारा कार्य निष्पादन हेतु राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है:

i. भूमि अधिग्रहण और सिविल कार्यों की संपूर्ण लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी;

ii. यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सड़क और पुल निर्माण कार्यों हेतु मंत्रालय के निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

iii. परियोजना को अनुमोदित विशिष्ट क्रॉस-सेक्शन के साथ कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें क्रस्ट का पुनर्निर्माण, पुनः प्राप्त डामर फुटपाथ (आरएपी) और स्टोन मैट्रिक्स डामर का उपयोग, और आवश्यक जंक्शन सुधार, पूर्वनिर्मित नालियों, यातायात संकेतों और सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल है, ताकि पर्यावरणीय चिंताओं, परियोजना की मितव्ययिता और सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके;

iv. राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना को निविदा के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रमुख डिजाइन तत्वों की जांच कर ली गई है और निष्पादन का तरीका इंजीनियरिंग, प्रापण (प्रोक्योरमेंट) और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) (ईपीसी) मोड पर आधारित होगा।

*****